

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

क्रमांक . जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 1२०

जोधपुर, दिनांक 11-०4-०7

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने के संबन्ध में ।

\*\*\*\*\*

राज्य सरकार ने बहु प्रतिक्षित सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निर्णय लिया है कि, जिन आवेदकों ने 31 मार्च 1993 तक आवेदन कर रखा है उनके मांग पत्र वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी कर दिये जावे । मांग पत्रों की संख्या पर सामान की उपलब्धता के अनुसार नियंत्रण रखे ताकि मांग पत्र जमा होने के बाद अधिकतम 90 दिन में कनेक्शन दिया जा सके ।

जिन पंचायत समितियों की कट ऑफ डेट मार्च 93 के बाद है उनकी कट ऑफ डेट निगम आर०ई०ओ०-98 [मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.) के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 16.06.2005] से बढ़ाई गई कट ऑफ डेट के अनुसार ही होगी । अतः निगम आर०ई०ओ०-98 के तहत सम्मिलित होने वाले, जिन आवेदकों के कनेक्शन देने शेष रह गये हैं उन्हें इस वित्तीय वर्ष 2007-08 में कनेक्शन दिये जावे । इस सम्बन्ध में पंचायत समितिवार कट ऑफ डेट जो निगम आर.ई.ओ.-98 से निर्धारित हुई थी एवं सम्भावित लम्बित पत्रावलियों की संख्या सूची संलग्न की जा रही है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम आर.ई.ओ.-98 में यह प्रावधान था कि जिन पंचायत समितियों में एक वर्ष की कट ऑफ अवधि में 20 से कम आवेदन हो तो उनको न्यूनतम 20 वे आवेदन की तारीख तक की कट ऑफ डेट स्वतः बढ़ा दी जाये । इस प्रावधान के तहत जहाँ वित्तीय वर्ष 2005-06 में आवेदकों के कृषि कनेक्शन दे दिये गये हैं, वहाँ इस वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा । अर्थात् वहाँ कनेक्शन देय नहीं होंगे ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

[एम.एल.त्रिपाठी] 11.4.07  
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- ❖ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेख नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ सभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- ❖ उपमुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड.सी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ प्राव.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू./वाणिज्य/एमएण्डपी/वीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़